गलत हो जाती हैं। पूरी प्रेस मौजूद थी और मेरी पूरी स्पीच कल दूरदर्शन पर दिखाई गई थी और इसकी विडियों रिकार्डिंग भी हुई थी। माननीय सदस्य चाहें इसे देख सकते हैं। मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य सभी पिछड़े वर्गों के समर्थन में बोलने वाला मैं कोई नहीं हूं और इस बारे में यहां बैठे लोग मेरा रिकार्ड जानते हैं। मानवता के इस प्रताड़ित वर्ग के बारे में मेरी भावना के विरुद्ध कोई कानाफूसी भी करे तो मुझे हैरानी होती है। मैं यह मानता हूं कि जब तक मानवता के इस भाग को हमारे सर्वोत्तम उच्च स्तर तक नहीं उठाया जाता तब तक आरक्षण जारी रहेगा। ..(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के बारे में सदन में हमेशा एक राय रही है। मेरे मित्र श्री राम विलास पासवान इसकी ताईद करेंगे। जब-जब आरक्षण की सीमा समाप्त होने लगी, उसे बढ़ाया गया। उस काम में सारे सदन ने सहयोग दिया। इसलिए आरक्षण के सवाल पर यह सदन बंट जाए, यह अच्छा नहीं है। जो दलित हैं, पिछड़े हुए हैं, परिगणित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, वे किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनकी शताब्दियों के उत्पीड़न के कारण क्या स्थिति है, वह किसी से छिपी नहीं है। जिस समाज में समता नहीं है, जो विषमता से बना समाज है, उसमें आरक्षण की आवश्यकता है। अगर हम तत्काल समाज को नहीं बदले सकते, जैसा दिखायी देता है कि समाज को बदलना कठिन होगा तो आरक्षण को बनाए रखना होगा। हम उस आरक्षण को बनाए रखने का समर्थन करेंगे और आप भी समर्थन करेंगे।

नेशनल एजेंडा में हमारी नीति स्पष्ट है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 50 परसैंट की सीमा लगायी गई थी। कुछ राज्यों ने 50 परसैंट की सीमा से अधिक रिजर्वेशन दिया हुआ है। उस समय कांग्रेस सत्ता में थी। चव्हाण साहब ने सब दलों की एक मीटिंग बुलायी थी। हमने इसका समर्थन किया कि जिन राज्यों में 50 फीसदी से ज्यादा रिजर्वेशन है, उसको बनाए रहने देना चाहिए और इसके लिए संविधान में संशोधन करना चाहिए। हमारे घोषणा पत्र में इस बात का पूरी तरह से उल्लेख है कि जहां 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण है, उसे सुरक्षित तथा बरकरार रखना होगा।

जेठमलानी जी ने यहां अपना स्पष्टीकरण दिया।

श्री वसुदेव आचार्य : हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप कभी संतुष्ट होने वाले हैं। मैं समझता हूं कि हम इस विवाद को यहीं समाप्त कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री राम विलास पासवान : आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है। मैं आपको बता दूं दिल्ली यूनिवर्सिटी और दूसरी बहुत सी जगहों में रिजर्वेशन आलरेडी खत्म हो गया है। मैंने इस सवाल को पहले भी उठाया था। आप इसे देख लीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको जरूर देखा जाएगा। इस सवाल को लेकर सदन विभाजित न हो, मैं उत्तेजना समझ सकता हूं, मगर उत्तेजना एक सीमा में होनी चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध है.....(*व्यवधान*)

जहां तक महिलाओं का सवाल है, मैं उसको भी स्पष्ट कर दूं। 33 फीसदी से कम महिलाओं का आरक्षण हो, इससे हम सहमत नहीं हैं। उनके लिए 33 फीसदी आरक्षण होना चाहिए। हमने कल सब दलों की बैठक बुलायी है। मुझे विश्वास है कि उसमें सब दलों की राय से यह तय होगा कि सदन में विधेयक लाया जाए।

श्री वसुदेव आचार्य : उसे पारित किया जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह पारित तब होगा, जब लाया जाएगा।....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री ए. के. प्रेमाजम (बड़ागरा) : हम चाहते हैं कि संसद में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक संसद में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाए क्योंकि राष्ट्र को यह पता होना चाहिए कि इस विधेयक के विरोध में कौन से लोग है। यद्यपि इस संबंध में कोई आम सहमति नहीं है फिर भी इसे सदन में मतदान के लिए रखा जाना चाहिए।.....(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमने 15 परसेंट की बात नहीं कही है।.....(*व्यवधान*) मैं आपसे सहमत हूं कि इस विधेयक को पास किया जाए। मुझे विश्वास है कि इसमें सब का समर्थन प्राप्त होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.45 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.38 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.38 बजे पुन: समवेत हुई।

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए)

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : सभापति महोदय, क्या